भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

उप-निदेशक, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, कुरूक्षेत्र नें पत्र कमांक 3357/टी.ए.I दिनांक 06.09.2021 द्वारा लिखा है कि कुरूक्षेत्र जिला की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है । इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव, कोध या मानव जीवन को बाहरी खतरे की सम्भावना रहती है तथा इस फसल की कटाई के बाद बची हुई पराली इसके जलाने से चारे की भी कमी हो जाती है ।

अत: दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत शाक्तियों के अन्तर्गत **मै मुकुल कुमार, भा0प्र0से0 जिलाधीश कुरूक्षेत्र** तुरन्त प्रभाव से समस्त कुरूक्षेत्र जिले में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबन्ध लगाता हूं।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थतियों के दृष्टिगत मै यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हूं तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित है ।

इस आदेश का जिला कुरूक्षेत्र में ढोल बजाकर जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचैहरी, उपमण्डल कचैहरी, तहसील कचैहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जावे ।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु तथा प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा ।

उपरोक्त आदेशों की पालना उप-निदेशक कृषि कुरूक्षेत्र व जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने नियन्त्रण क्षेत्र में सुनिश्चित करेगे ।

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया

DISTRICT MAGISTRATE KURUKSHETRA

Mukul Kumar

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

पृ.कमांक 11141 /एम.ए.II दिनांक 22.09.2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चण्डीगढ ।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी.आई.डी. हरियाणा, पंचकूला ।
5. आयुक्त, अम्बाला मण्डल, अम्बाला छावनी ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, अम्बाला रैन्ज अम्बाला ।
7. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
8. जिला सत्र एवं न्यायधीश, कुरूक्षेत्र ।
9. राज्य के समस्त जिलाधीश ।
10. हरियाणा राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड पंचकुला ।
11. पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र/ अतिरिक्त उपायुक्त, कुरूक्षेत्र ।
12. उपमण्डलाधीश, थानेसर/पेहवा/शाहाबाद/लाडवा ।
13. उप-निदेशक, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, कुरूक्षेत्र को उनके पत्र कमांक 3357/टी.ए.I दिनांक 06.09.2021 के संदर्भ मे ।
14. जिले के समस्त थाना प्रबन्धक ।
15. जिले के समस्त तहसीलदार/उपतहसीलदार/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
16. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कुरूक्षेत्र ।
17. जिले के समस्त कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपरिषद/नगरपालिका ।
18. स्टैनो टू उपायुक्त/नगराधीश, कुरूक्षेत्र ।

Mukul Kumar

जिलाधीश, कुरूक्षेत्र ।

Scanned with CamScanner